राजभाषा विभाग

ड्यूटी पूरी करने के लिए निर्धारित मानदंड

(1) द्विभाषिकता संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रयोजन से **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)** एवं **राजभाषा नियम 1976 के नियम 11** में उल्लिखित प्रलेखों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर सटीक, सहज और सरल अनुवाद उपलब्ध कराना।

(2) मूल रूप से पत्राचार और आंतरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए स्टाफ-सदस्यों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना एवं सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी माध्यम का उपयोग बढ़ाना, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना एवं विकासात्मक कार्य करना।

(3) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष निगरानी (तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाने, उसकी समीक्षा करने एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन सहित)।

(4) (i) संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों, (ii) वार्षिक कार्यक्रम में निहित अपेक्षाओं (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के निरीक्षण दौरों के समय संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों को दिए गए आश्वासनों और (iv) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(5) हिंदी में कार्य करने के लिए यांत्रिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा कार्यालय में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

राजभाषा विभाग द्वारा दी जानेवाली सेवाएं

(1) केंद्रीय कार्यालय के सभी विभाग तथा रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालय।

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंक (डीबीओडी के माध्यम से)।

(3) वित्तीय संस्थाएं एवं गृह मंत्रालय।

क्रियाकलाप

(क) अनुवाद की व्यवस्था

(i) द्विभाषिकता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने, हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी में प्राप्त पत्रादि का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद की व्यवस्था करना।

(ii) अनुवाद को सटीक, सहज और सरल बनाने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(iii) अनुवाद के स्तर को सुधारने के लिए अनुवाद की समय-समय पर समीक्षा करना एवं आवश्यकता होने पर सुधार करने के लिए समीक्षा के बाद उपचारात्मक कार्रवाई करना।

(ख) <u>हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन</u>

(i) अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना और कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

(iii) हिंदी पुस्तकालय की व्यवस्था करना एवं हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की खरीद एवं उनका वितरण।

(iv) विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(v) हिंदी सीखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना।

(vi) हिंदी समारोह का आयोजन एवं हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले स्टाफ-सदस्यों/ कार्यालयों को पुरस्कृत करना।

(vii) राजभाषा शील्ड योजनाओं का संचालन।

(viii) हिंदी में पुस्तक लिखनेवाले स्टाफ-सदस्यों को प्रोत्साहित करना।

(ix) स्टाफ-सदस्यों द्वारा गठित स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को प्रोत्साहित करना।

(x) हिंदी सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन।

(ग) स्टाफ-सदस्यों को हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए यांत्रिक सुविधाओं एवं <u>संदर्भ-साहित्य आदि की व्यवस्था करना</u>

(i) कंप्यूटर एवं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

(ii) एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का निर्माण, प्रयोग, रखरखाव एवं सुधार।

(iii) ईकेपी तथा वेबसाइट में दी गयी जानकारी में यूनिकोड फांट का प्रयोग करते हुए हिंदी का प्रयोग बढ़ाना।

(iv) बैंकिंग शब्दावली, हिंदी में बैंकिंग परिभाषा कोश एवं अन्य सहायक साहित्य का निर्माण, प्रकाशन एवं प्रचार।

(v) बैंकिंग संबंधी हिंदी शब्दावली को लोकप्रिय बनाने के लिए “आज का शब्द” एवं अन्य हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(vi) बैंकिंग विषयों पर हिंदी में पत्रिका का प्रकाशन।

(vii) राजभाषा संबंधी कार्यकलापों की जानकारी देने के लिए राजभाषा समाचार का प्रकाशन।

(घ) <u>राजभाषा नीति के अनुपालन में हुई प्रगति की समीक्षा</u>

(i) रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं राजभाषा कक्ष की तिमाही गतिविधि रिपोर्ट मंगाना एवं प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना।

(ii) केंद्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में केंद्रीय कार्यालय विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करना।

(iii) केंद्रीय कार्यालय के विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उनके प्रभागों एवं विभागों में हुई प्रगति की समीक्षा करना।

(iv) कार्यालयों/विभागों का राजभाषाई निरीक्षण एवं पायी गयी कमियों के बारे में उपचारात्मक कार्रवाई।

(ड.) भारत सरकार के अनुदेशों एवं संसदीय राजभाषा समिति <u>की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन।</u>

(i) गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में की गयी अपेक्षाओं का अनुपालन।

(ii) वित्त मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति तथा वित्तीय सेवाएं विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों का अनुपालन।

(iii) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन।

(iv) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों का दौरा किये जाने के समय उन्हें दिये गये आश्वासनों को पूरा करना।

(v) वित्त मंत्रालय/गृह मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त अन्य निदेशों का अनुपालन।

(vi) राजभाषा अधिनियम,1963 एवं राजभाषा नियम 1976 में की गयी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन।

<u>संपर्क सूत्र</u>

	विषय	**संपर्ककर्ता**	**दूरभाष**
(i)	राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन संबंधी जानकारी	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(ii)	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(iii)	संसदीय राजभाषा समिति संबंधी जानकारी	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(iv)	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(v)	विभाग के प्रकाशन	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(vi)	हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुवाद	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(vii)	कंप्यूटरों में हिंदी के प्रयोग की सुविधा	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(viii)	अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों का द्विभाषीकरण	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263
(ix)	प्रोत्साहन योजनाएं	महाप्रबंधक (डॉ.रमाकांत गुप्ता)	24948263